भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2930
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

2930. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क का इसके उद्देश्यों सहित ब्यौरा क्या है और यह ग्रामीण क्षेत्रों के स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों और लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करेगा;

(ख) ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क के प्रमुख घटक क्या हैं और यह पारंपरिक क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम से किस प्रकार भिन्न है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की साख का आकलन करने में जिनका औपचारिक क्रेडिट इतिहास नहीं होता है;

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि यह क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली सभी ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, किसानों और सीमांत समुदायों के लिए सुलभ और समावेशी हो;

(घ) ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की क्या भूमिका है और इस पहल से ग्रामीण उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने में किस प्रकार मदद मिलती है; और

(ङ) सरकार ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने और ग्रामीण आबादी के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य हितधारकों के साथ किस प्रकार सहयोग करेगी?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ङ) केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के संबंध में एक घोषणा शामिल थी, जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण

आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विकसित एक फ्रेमवर्क है। क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा उपयोग की जाने वाली वर्तमान क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली, डिजाइन के अनुसार, सभी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए सामान्य है, तथा इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई विशेष विचार नहीं दिया गया है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के उधारकर्ताओं और ग्रामीण आबादी के ऋण मूल्यांकन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, बेहतर ऋण मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे न केवल स्वयं सहायता समूहों के लिए बल्कि, किसानों और विशेष रूप से पिछड़े समुदायों सहित ग्रामीण आबादी के लिए औपचारिक ऋण लेने में सुविधा होगी । यह उनकी आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार हितधारकों से परामर्श करके ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की रूपरेखा और तौर-तरीके तैयार कर रही है।